

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल ( म0प्र0)

क0 04 अ-82/19-20 /बोरीकास/ 4948 बैतूल दिनांक 27.5.2020  
प्रति,

संचालक,  
जनसम्पर्क संचालनालय,  
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,  
भोपाल।

विषय:- ग्राम बोरीकास तहसील बैतूल के भू-अर्जन प्रकरण  
में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने  
बाबत।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा बोरीकास तहसील बैतूल के भूमिस्वामियों की भूमि में मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु अर्जन किए जाने हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

( रूकेश सिंह )  
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल  
बैतूल दिनांक 27.5.2020  
प्रतिलिपि:- 4948

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) बैतूल को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, कभांक-2, बैतूल,
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, सूचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 5- तहसीलदार बैतूल को प्रश्नांकित स्थल/ग्राम पंचायत एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

प्रारूप "ख"  
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1. परियोजना का नाम :- मेढा मध्यम परियोजना
2. लोक प्रयोजन :- सिंचाई हेतु
3. स्थल :- मेंढा, पिपला, खापा, बोरीकास, बगदरी, पलासपानी, कामीदा तहसील भैसदेही, आठनेर, बैतूल
4. परियोजना का क्षेत्र :- 11000 हे० सिंचित
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया :- अर्जन की जाने वाली भूमि जलाशय के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
6. परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क००२ बैतूल
7. परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम एवं अंतिम
8. परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे :- प्रकरण में नक्शा सलंगन है।
9. परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :- जलाशय निर्माण हेतु 84.642
10. भूमि का मूल्य :- ग्राम-बोरीकास की सिंचित भूमि रू० 3,87,200/- एवं असिंचित भूमि रू० 1,93,600/- रू० प्रति हे०
11. प्रभावित परिवारों की संख्या :- ग्राम बोरीकास के 75 कृषक
12. परिसम्पत्तियां :- लोक सम्पति भूमि भवन 2 अन्य निजी सम्पति भूमि 84.642 भवन 21 अन्य ग्राम-बोरीकास परिवारों की संख्या 21
13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई :-
14. सामाजिक समाघात  
(क) समाघातों का विवरण :- निष्कर्ष में उल्लेखित है।  
(ख) समाघातों की संकेतक सूची :- निरंक
15. विकल्प जिन पर विचार किया गया  
(क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? लोक प्रयोजन हेतु  
(ख) यदि नहीं - तो क्यों ?  
निष्कर्ष :-
  1. प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
  2. प्रभावित भूमि के अर्जन में 21 परिवार विस्थापित हो रहे हैं।
  3. प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पत्तियां प्रभावित हो रही हैं जिस बाबत वर्तमान प्रचलित विधि/निर्देशों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है।
  4. आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
  5. इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
  6. जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक हैं। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

(सदस्य)

श्री संजय मोखड़े

(सदस्य)

उपवन मंडालाधिकारी  
बैतूल

(सदस्य)

अविअ जल संसाधन  
उपसंभाग घोडाडोंगरी

(अध्यक्ष)

नितिन टाले,  
डिप्टी कले० बैतूल

दिनांक 24.11.2020....